प्रारुप–2.1

परियोजना का नाम :– **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोडने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई– 5.00 कि0मी0 + 100.00 मी0 स्पान सेतु)**

प्रतिवेदन

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में आवादी वाली असंयोजित बसावट को किसी भी बाहरमासी सम्पर्क मार्ग से जोडने का कार्य सम्मलित किया गया है। उक्त कम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–6667/III(2) /13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक– 22.11.2013 द्वारा को लम्बाई– 5.00 कि0मी0 + 100.00 मी0 स्पान सेतु हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई !

उक्त प्रभावित मोटर मार्ग ग्राम–बौंर एंव सेन्दुल से होकर गुजरता है, जिनकी आबादी लगभग 11037 है। यह मार्ग गडोलिया–घनसाली मोटर मार्ग के कि0मी0–15 से प्रारम्भ तथा राज्य मार्ग संख्या– 15 के कि0मी0–97.00 पर समाप्त होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से केमर, फैगुल, आरगढ, बासर एंव थाती पटटी के ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। मोटर मार्ग के निर्माण होने से यह मोटर मार्ग बाईपास के रूप में भी कार्य करेगा एवं क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा तथा घनसाली में चारधाम यात्रा के सीजन में लगने वाले ट्रेफिक जाम से भी काफी हद तक निजात मिल सकेगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कास्तकारों की नाप भूमि की अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमि 1.085 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0, सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, 0.00 है0, नाप भूमि प्रभावित हो रही है जो कि न्यूनतम एव अप्रिहार्य है वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु वन संरक्षक अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सर्वेक्षण के उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु दो समरेखणों पर विचार किया गया है। जिन्हे प्रस्ताव में संलग्न रंगीन गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। उक्त को ध्यान में रखते हुये समरेखण नं0–1 को निरस्त कर समरेखण नं0–1 को अनुमोदित किया गया है इन दोनो संमेरखणों का भू–वैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। एवं उनके द्वारा समरेखण नं0–2 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भू–गर्भीय दृष्टि से उपर्युक्त पाया गया है। ;भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट की आख्या की छाया प्रति संलग्न अतः लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार आने वाले आरक्षित वन भूमि 1.085 है0, सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन भूमि को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता,	सहायक अभियन्ता,	अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0,घनसाली,	अ0ख0,लो0नि0वि0,घनसाली,	अ0ख0,लो0नि0वि0,घनसाली,